भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Developement Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

कार्यालय आदेश संख्या 367 /2024

विषय: SEEPZ अधिकारियों/कर्मचारियों/आउटसोर्स स्टाफ से सेवा प्रदाताओं/वेंडरों द्वारा अनधिकृत मुलाकातों पर प्रतिबंध।

Subject: Restrictions on Unauthorised Visits by Service Providers/Vendors to SEEPZ Officers/Employees/Outsourced Staff.

1. यह देखा गया है कि SEEPZ-SEZ के सेवा प्रदाता/वेंडर बिना किसी आधिकारिक उद्देश्य और पूर्व अनुमति के SEEPZ के अधिकारियों, कर्मचारियों, और आउटसोर्स स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी अनियंत्रित मुलाकातें कार्यालय की कार्यप्रणाली में विघ्न डालती हैं और SEEPZ परिसर में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं हैं।

2. यह कार्यालय न्यूनतम मानवीय संपर्क की नीति पर काम कर रहा है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि

(ए). विक्रेता/ठेकेदार अपना संचार संबंधित सरकारी अधिकारी को ईमेल के माध्यम से भेजेंगे, जिसकी एक प्रति डीडीसी/जेडीसी/डीसी को भेजी जाएगी। विक्रेता/ठेकेदार का कोई भी व्यक्ति किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी से सीधे

1. It has been observed that Service Providers/Vendors operating within SEEPZ-SEZ are visiting SEEPZ officers, employees, and outsourced staff without any official purpose or prior permission. Such unregulated visits disrupt office functioning and are not in accordance with the protocol for access to SEEPZ premises.

2. This office is working on a policy of minimum human interaction, it is therefore instructed that

(a). The vendors/contractors shall send their communication through email to the concerned Govt. Official with a copy to DDC/JDC/DC. No person from vendor/contractor will

24/10/24

संपर्क नहीं करेगा।

(बी). कोई भी सेवा प्रदाता/वेंडर अधिकारियों, कर्मचारियों या आउटसोर्स स्टाफ से मुलाकात करने या नॉन-प्रोसेसिंग जोन (NPZ) में प्रवेश करने से पहले विभाग या संबंधित अधिकारी से ईमेल के माध्यम से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

(सी). असाधारण परिस्थितियों या आपातकालीन स्थिति में, अधिकारी से जो कि सहायक विकास आयुक्त (ADC) से कम रैंक का न हो से टेलीफोनिक पुष्टि प्राप्त करने पर मुलाकात की अनुमति दी जा सकती है।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें ताकि कार्यालय की व्यवस्था और संचालन में कोई विघ्न न आए।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

interact directly with any outsourced staff.

(b). No Service Provider/Vendor shall be allowed to visit officers, employees, or outsourced staff, or enter the Non-Processing Zone (NPZ) without prior permission through a formal communication via email to the concerned officer or department.

(c). In exceptional circumstances or emergency situations, a visit may be permitted based on telephonic confirmation from the officer not below the rank of Assistant Development Commissioner (ADC).

Any violation of the above instructions will be viewed seriously and appropriate action will be taken.

Kindly ensure strict compliance with this order to maintain discipline and smooth operations.

This issues with approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

24.10.24

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

फा.सं.SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/12278 दिनांक: 23-10-2024

प्रति:

1. सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तथा आउटसोर्स स्टाफ सीप्ज़-सेज़
2. सीप्ज़ वेबसाइट
3. सूचना पट्ट